



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, नाइपुय, (कोटा)
जिला - कोटा



राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र

क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग /21389986371
दिनांक: 08-11-2021
आवेदक का आधार नम्बर : 925029905651
आवेदक / परिवार के मुखिया का जनआधार कार्ड संख्या 4735745808

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

- 01 सुशी कोमल पांचाल पुत्र/पुत्री श्री सत्य प्रकाश पांचाल, माता का नाम - श्रीमती सोहिनी पांचाल, राजस्थान राज्य के जिला कोटा पता - सी 25 इन्स्टा कॉलॉनी विज्ञान नगर थार्ड नं. - 29, कोटा साउथ, कोटा के/की निवासी है तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते हैं।
- 02 उस सुशी कोमल पांचाल राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं प.11(164) आर.एच पी.एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 46 LOHAR (46 लोहार) वर्ग/जाति के/की सदस्य है।
- 03 उस सुशी कोमल पांचाल आरक्षण हेतु उस वर्ग के किमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं प.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लिखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार किमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का, की मही है।

नोट :

- 1 राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एच.21(37) एच.जे.ई./कम्प्यू./ई.डी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
- 2 उपरोक्त प्रमाण-पत्र क्रियान्वित द्वारा प्रमाणित करने गये हैं-दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजों की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र क्रियान्वित किया जा सकेगा।
- 3 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल, आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजों के सम्बन्धित प्रदान अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यविवरण में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।
- 4 यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः प्रार्थी कार्यों के लिये कार्य है।

5 प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या : 310405162068

*राज्य के पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के जॉब पोस्टों में नियुक्तियों और पदोन्नतियों के लिये राजस्थान के विभिन्न संस्थानों में कोटा में आरक्षण के अयोग्यता।

उपखण्ड अधिकारी, नाइपुय, (कोटा)

Signature valid

Digitally signed by Deepak Mittal
Date: 2021.11.08 11:06:08 +05:30
Reason: I signed
Location: Rajasthan

